फर्द अहकाम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

प्रेमलता बनाम मायाराम वगै0

किस्म दावा मुकदमा नं0.....09...../2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2026	यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 रा.टी. एक्ट वादी की ओर से श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2026 को पेश हो।	219-23
19/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से एडवोकेट इस्लाम खान ने वकालत नामा पेश किया शामिल वाद किया गया प्रतिवादी सं0 3 व 5 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी सं0 4 की तामिल नहीं पता नहीं होने के कारण नहीं हो पाई है। पत्रावली वास्ते बयान प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तलबी प्रतिवादी सं0 4 की जाबत दिनांक 2/4/26 को पेश हो	
2/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रति0 सं0 1 व 2 उपस्थित है। पत्रावली वास्ते बयान प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तलबी प्रतिवादी सं0 4 की जाबत दिनांक 14/5/26 को पेश हो	764 07/4/26
14/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 उपस्थित है। न्यायालय समय समाप्ति तक कई बार आवाज लगवाई गई। परन्तु वादी अथवा उनके वकील उपस्थित नहीं आये हैं। पत्रावली अंक पेशी अंक दायरी में स्थगित की जाती है पत्रावली पैरवीकार होकर नम्बर से कम हो एवं आज तक्मील दाखिल दफ्तर हो।	उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला-स0मा0